भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2529

09 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि अवसंरचना निधि

2529: डॉ. सुकांत मजूमदार:

श्री जयदेव गल्ला:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री भोला सिंह:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डॉ. जयंत कुमार राय:

श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) को अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का 1000 और मंडियों को ई-एनएएम, जिसने कृषि बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाई है, के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निधि खेतों के समीप शीतागार श्रृंखला, भांडागार, सिलो आदि के निर्माण में सहायता करेगी क्योंकि यह कटाई के पश्चात नुकसान का एक कारण है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है और सरकार का क्या योगदान है;

(ड.) क्या उक्त योजना से प्रसंस्करण इकाइयों को भी लाभ प्राप्त हो सकता है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या एआईएफ के अंतर्गत एपीएमसी हेतु कोई पृथक राशि निर्धारित की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी हां।

(ख): जी हां।

(ग): जी हां। एआईएफ फसलोपरांत परियोजनाओं जैसे वेयरहाउस, शीतश्रृंखला, सिलोस आदि और समुदायिक कृषि परिसंपत्ति परियोजनाओं के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज छूट और ऋण गारंटी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ): इस स्कीम के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त सुविधा, नाबार्ड पुनर्वित्त सुविधा और अन्य एनबीएफसी की सहायता से अधिकांश परियोजनाएं कृषि उद्यमी, एफपीओ, पैक्स, किसान आदि के द्वारा संचालित की जाएंगी। सरकार इस स्कीम के तहत ऋण पर ब्याज छूट और ऋण गारंटी के रूप में वित्तीय सहायता देती है।

(ङ.): जी हां। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक प्रसंस्करण अवसंरचनाओं को तैयार करने के लिए ईकाइयां स्कीम के अंतर्गत पात्र हैं।

(च): जी नहीं।

(छ): एआईएफ के लिए 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 11 निजी क्षेत्र के बैंकों और 40 सहकारी बैंकों/आरआरबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। स्कीम के लिए यूआरएल https://agriinfra.dac.gov.in पोर्टल तैयार किया गया है। कृषि अवसंरचना निधि को कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), पीएम-कुसुम, गोबरधन और समेकित कृषि सहयोग स्कीम (आईएसएसी) के साथ सम्मिलित किया गया है।

*****